नर्मदा बनाम मैसर्स कुशाल
मल्टी इवलपर्स

160/2015

10.1.19 कमीलन धारा 240 P.O. Act के तहत
दावा अभियान 2019 में चल रहा है अतः फायदली दिनांक 11.2.19
को पेश हो।

11.1.19 फायदली इन वादिनी/प्रार्थिनी
के वाद में श्रीमती कुमारी सुनिता
का पत्र पेश होने पर वाद 11-1-19
के साथ दाखिल की गई।
प्रार्थिनी सुनिता देवी के प्रार्थना
पत्र के आधार पर
मूल वाद खारिज किया जाता
है। इसलिए प्रार्थना पत्र
U/R.T.Act चलाने का
कोई औचित्य नहीं है अतः
प्रार्थना पत्र खारिज किया
जाता है। फायदली फैसला
शुमार होने दर्ज रजिस्टर
किया है, तथा दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by CamScanner